

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग**

जी ३/१, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, लिपिल लाईन्स फाटक, जयपुर।  
 क्रमांक रुक ११(६८) रक्षणी रक्षणी / लाख ५/ डीक्षिती/सामाजिक/२०२१/५८८७४-८८ ज्युन विषय १६/१०/२०२१।

समस्त जिला कलेक्टर।

**परिपत्र**

**विषय :-** अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमज़ोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को पर Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में।

(संदर्भ :- मंत्रीमण्डल आज्ञा १३४ / २०२१ दिनांक २८.०९.२०२१)

जैसा कि विदित है कि राज्य में प्रायः अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने द्वारा प्रमाण पत्र धारक के नाम के आगे केवल उसके पिता के नाम का अंकन किया जा रहा है।

परन्तु बदलते सामाजिक परिवेश में ऐसी एकल महिलायें जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं या पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिसा के कारण पति से अलग रहती हैं, तथा ऐसी एकल महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता या उनके पिता की कोई जानकारी नहीं है, तो उनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में डडी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी तरह आर्थिक कमज़ोर वर्ग की ऐसी एकल महिलाएँ जो कि कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं, या पारिवारिक कलह, घरेलू हिसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा ऐसी महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता हो, तो वर्तमान में ऐसी महिलाओं के बच्चों के Income & Asset Certificate माता व परिवार के अन्य सदस्यों की आय के आधार पर एवं माता के नाम से जारी नहीं किये जा रहे हैं।

अतः उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमज़ोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में मंत्रीमण्डल आज्ञा १३४ / २०२१ दिनांक २८.०९.२०२१ के अनुपालना में निम्नानुसार निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

**(क.) अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में-**

क्र.सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	ऐसी एकल महिलायें जो कि कानूनी रूप से तलाक शुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हों तो ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र उनकी माता के नाम से जारी हो सकता है या नहीं।	ऐसी एकल महिलायें जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हैं तो ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण-पत्र माता के नाम से भी जारी किया जा सकता है।
2.	ऐसी एकल महिलायें जो पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो लेकिन कानूनी रूप से उस महिला का तलाक नहीं हुआ हो तो यथा ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र	ऐसी एकल महिलायें जो पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो, लेकिन कानूनी रूप से उस महिला का तलाक नहीं हुआ हो एवं दस्ते माता के साथ रहते हैं तो ऐसी एकल महिलाओं के

उनकी माता के नाम से जारी हो सकता है या नहीं।

3. ऐसी महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है एवं वह नाहीं पिता की जाति के बारे में पता हो तो ऐसी महिलाओं के बच्चों को महिला की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है या नहीं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के साथ यह पर यह भी यहां किया जाता है कि अमरीका की जाति प्रमाण-पत्र पिता की जाति के आधार पर भी कामे जाते हैं, लेकिन गिरेप परिवर्तन, ललाकशुदा, प्रतिक्रिया व विधवा महिला के बच्चों के प्रमाण-पत्र उसकी माता की जाति संयुक्त के आधार पर बनाये जा सकते हैं, यदि बच्चों का लालन-पालन उनकी माता के सामिय में हुआ हो।

(ख.) आर्थिक कमज़ोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को माता की आय के आधार पर Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में

क्र.सं.

विन्दु

1. आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जो कि कानूनी रूप से ललाकशुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति भी अनारक्षित वर्ग (अर्थात् एसरी, एसटी एवं ओवीसी के अतिरिक्त) से संबंध रखता हो, वाहे उसकी जाति उस अनारक्षित वर्ग में दोनों की समान हो या दोनों की गिन्न-गिन्न हो तो ऐसी महिला को स्वयं या उसकी संतान को माता के रखयं भार साधन (Possession) तथा उस एकल महिला के माता-पिता व 18 साल से कम आयु के उनके बच्चों की संयुक्त निर्धारित वार्षिक आय एवं सम्पत्ति की गणना के आधार पर उस एकल महिला को रखयं एवं उसके बच्चों को क्या आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चों को उसके रखयं पिता के नाम के रथान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

2. आर्थिक कमज़ीर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जोकि पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती है तथा उक्त महिला एवं उसके पति भी अनारक्षित वर्ग (अर्थात् एसरी, एसटी एवं ओवीसी के अतिरिक्त) से संबंध रखता हो, वाहे उसकी जाति उस अनारक्षित वर्ग में दोनों की समान हो या दोनों की गिन्न-गिन्न हो तथा पति की आय एवं सम्पत्ति की गणना किये विना क्या ऐसी एकल महिला के माता-पिता व 18 साल

बच्चों को जाति प्रमाण पत्र माता के नाम के नाशे किया जा सकता है।

ऐसी एकल महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है एवं वह नाहीं पिता की जाति के बारे में पता है, ऐसी महिलाओं के बच्चों को महिला की जाति के अधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के साथ यह पर यह भी यहां किया जाता है कि अमरीका की जाति प्रमाण-पत्र पिता की जाति के आधार पर भी कामे जाते हैं, लेकिन गिरेप परिवर्तन, ललाकशुदा, प्रतिक्रिया व विधवा महिला के बच्चों के प्रमाण-पत्र उसकी माता की जाति संयुक्त के आधार पर बनाये जा सकते हैं, यदि बच्चों का लालन-पालन उनकी माता के सामिय में हुआ हो।

### रूपरेखा

आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जो कानूनी रूप से ललाकशुदा हैं उनके मामले में आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) का Income & Asset Certificate जारी करने वाल प्राधिकारी द्वारा न्यायालय से ललाक की डिक्री में वर्णित तथ्यों के आधार पर Certificate जारी करने के बारे में निर्णय लिया जाना है जो प्रत्यक्ष प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा अर्थात् माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री आदेश में महिला को कोई सम्पत्ति तथा भत्ता यदि देय हो तो उसे महिला की आय/सम्पत्ति की गणना में जाडा जायेगा।

आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जो पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं तब उक्त विना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विधि अनुसार अपने पति से अलग नहीं जाना जा सकता है। अर्थात् पति की आय को परिवार की वार्षिक आय की गणना में शामिल किया जायेगा।

रो कम आयु के उनके बच्चों की संयुक्त निर्धारित वार्षिक आय एवं सम्पत्ति की मण्डा के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चों को उसके रख्यं पिता के नाम के रथान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

- आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) ऐसी महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कांड जानकारी नहीं है एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता होता क्या ऐसी एकल महिला के माता-पिता व 18 साल से कम आयु के उनके बच्चों की वार्षिक आय एवं सम्पत्ति की मण्डा के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं उसके बच्चों को क्या आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चों को उसके रख्यं पिता के नाम के रथान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

आर्थिक कमज़ोर वर्ग (EWS) के ऐसी महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कांड जानकारी नहीं है उसमें महिला के पति को अनुपरिष्ठत मानते हुये परिवार के शेष सदस्यों की आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

अतः समर्त सक्षम अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमज़ोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

(डा. समित शर्मा)

शासन सचिव

जयपुर दिनांक 18/12/2021

क्रमांक एफ 11(167) ऐसी एसटी ओवीसी / जा.प्र.प / डीडीवीसी / सान्याअवि / 2021/48 776-800

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- प्रमुख शारान सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजरथान सरकार, जयपुर।
- प्रमुख सचिव / सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजरथान सरकार जयपुर।
- वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजरथान जयपुर।
- समर्त अधिकारित मुख्य सचिव / प्रमुख शारान सचिव / शारान सचिव शारान सचिवालय जयपुर।
- अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजरथान अजमेर।
- विशिष्ट राहायक, रागत मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजरथान रारकार जयपुर।
- सचिव, राजरथान लोक सेवा आयोग, राजरथान जयपुर।
- सचिव, राजरथान अधिनस्थ गंत्रालियक एवं कर्मचारी वयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक (आईटी) मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बैठकाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संक्षिप्त पत्रावली

*3*  
(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव